शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : सुश्री भावना गौड

दिनांक : 26.03.2018

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या : 105

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा में नियमित एवं अनाधिकृत कॉलोनियों में अवैध भवनों का निर्माण लगातार जारी है;	**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** अनाधिकृत कॉलोनियों में अवैध भवनों का निर्माण के बारे भवन विभाग नजफगढ़ के संज्ञान में आता है तो उस पर डी.एम.सी. एक्ट की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है ।
ख	क्या ये निर्माण बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक है;	**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार नहीं होने पर डी.एम.सी. एक्ट की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है । जिसका विवरण www.mcdonline.gov.in सार्वजनिक डोमेन पर है ।
ग	भवनों के निर्माण हेतु निर्धारित नियमों एवं उप–नियमों का विवरण क्या है; और	**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** भवनों के निर्माण हेतु निर्धारित नियम एवं उपनियम दिल्ली विकास प्राधिकरण एकीकृत भवन उप निर्माण 2016 (शुरू संशोधित उपनियम दिनांक 05.04.2017) में विस्तारपूर्वक दिए गए हैं। जिससे उपयुक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
घ	वर्ष 2015 से महावीर एंकलेव, पालम, मधु विहार एवं साध नगर के निगम वार्डों में बने बड़े–बड़े भवनों जैसे मल्टी–स्टोरी बिल्डिंग्स, व्यवसायिक भवनों इत्यादि का विवरण क्या है?	**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** वर्ष 2015 से महावीर एंक्लेव पालम, मधुविहार एवं साध नगर के निगम वार्डों में 13 मार्च 2018 तक 528 भवनों का नोटिस दिये गये है। उस पर डी.एम.सी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है तथा भवन मु0द0न0नि0 द्वारा या बड़े व्यवसायिक भवन की स्वीकृति नहीं दी गई है।

R.S. Parmar
Dy. Secy. (Urban Development)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat